

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 116]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 25, 1972/फ.ह्गुन 6, 1893

No. 116]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 25, 1972/PHALGUNA 6, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS

(Posts and Telegraphs Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th February 1972

S.O. 160(E).—In exercise of the powers conferred by Section 43 of the Indian Post Office Act, 1898 (6 of 1898), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Indian Post Office Rules, 1933, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Post Office (7th Amendment) Rules, 1972.
- (2) They shall come into force on the 1st day of March, 1972.
2. In the Indian Post Office Rules, 1933, to rule 128, the following proviso shall be added, namely :—

“Provided that a telegraphic money order, express or ordinary, for a sum not exceeding two hundred and fifty rupees shall not be accepted for payment on Sundays through a post office kept open on such days for delivery of ‘Express Delivery Articles’ unless an additional supplementary fee of one rupee is paid on such money order”.

[No. 13-8/71-CL]

L. K. NARAYANSWAMY,
Senior Member (Posts) and
Special Secretary (Communication).

संसार मंत्रालय

(डाक-तार बोर्ड)

अधिनियम

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 1972

एन० अ० 160(अ).—1933 (1898 का 6) के भारतीय डाकघर अधिनियम की धारा 43 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करत हुए केन्द्रीय सरकार ने 1933 के भारतीय डाकघर नियमों में आगे संशोधन करने के लिए निम्नवर्ती नियम बनाये हैं, यथा :—

1. (1) इन नियमों को भारतीय डाकघर (सातवां संशोधन) नियम, 1972 कहा जाए।
(2) वे 1 मार्च 1972 से प्रवृत्त होंगे।
2. 1933 के भारतीय डाकघर नियमों के नियम 128 में निम्नवर्ती परंतुक जोड़ दिया जाएगा, यथा :—

“वर्षान्ते कि दो सौ पचास रुपये से कम की रकम वाला तुरन्त अथवा साधारण तार मनी-आर्डर रविवारों को “तुरन्त वितरण डाक वस्तुओं” के वितरण के लिए खुले रहने वाले डाकघर कं. मार्फत रविवारों को अदायगी किये जाने के लिए तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे मनीआर्डर के लिए एक रुपया अतिरिक्त पूरक शुल्क की अदायगी न कर दी गई हो।”

[सं० 13-8/71-सी० आई०]

एल० के० नारायणस्वामी,

प्रवर सदस्य (डाक) तथा विशेष सचिव, (संचार)।